(23)

झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची - 834 004

पत्र सं०–05 / म०स० / खा०सु०भ०–290 / 2021–

प्रेषक,

अविनाश कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

Ms. Aditi Das Rout,
Joint Secretary,
Ministry of Women & Child Development,
Government of India,
Shastri Bhawan, New Delhi - 110001
Email – adrout@nic.in.

राँची, दिनांक :

विषय :– केन्द्र प्रायोजित पूरक पोषाहार कार्यक्रम अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा भत्ता भुगतान संबंधी नियमन पर मार्ग निर्देशन के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–2010, दिनांक– 26.10.2021.

महाशया,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से भवदीया को अवगत कराया गया था कि :–

i. केन्द्र प्रायोजित पूरक पोषाहार कार्यक्रम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA)–2013 से आच्छादित है। अधिनियम की धारा–8 के प्रावधान यथा –

"In case of non – supply of the entitled quantities of foodgrains of meals to entitled persons under Chapter II, such persons shall be entitled to receive such food security allowance from the concerned State Government to be paid to each person, within such time and manner as may be prescribed by the Central Government."

के अनुपालनार्थ इस विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा भत्ता के भुगतान निमित्त मार्ग–निर्देश गठित करने की कार्रवाई की जा रही है।

ii. विषयांकित योजना के कार्यान्वयन हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा पूरक पोषण नियमावली, 2017 गठित थी जिसमें खाद्य सुरक्षा भत्ता हेतु कतिपय प्रावधान किये गये थे। उक्त NFSA-2013 एवं SNP Rule-2017 के प्रावधानों के तहत् ही राज्य में योजनान्तर्गत खाद्य सुरक्षा भत्ता के भुगतान निमित्त मार्गनिर्देश गठन का प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रक्रियाधीन है तथापि इस क्रम में मंत्रालय के पत्रांक–CD-III-22/III/2016-CD-III, दिनांक–29.06.2021 द्वारा SNP Rule-2017 को Denotify करने की सूचना भी इस विभाग को प्राप्त है।

iii. खाद्य सुरक्षा भत्ता भुगतान हेतु विभिन्नों जिलों से कतिपय अनुरोध भी प्राप्त हुआ है। एतद संबंधी शिकायत के कुछेक मामलों में झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग द्वारा न्याय निदेश भी पारित किया गया है। इसके अनुपालनार्थ खाद्य सुरक्षा भत्ता भुगतान की प्रस्तावित मार्ग निर्देश पर यथाशीघ्र निर्णय किया जाना अपेक्षित है।

iv. उपर्युक्त के आलोक में यद्यापि खाद्य सुरक्षा भुगतान हेतु राज्य स्तर पर मार्ग निर्देश की स्वीकृति विचाराधीन हैं तथापि SNP Rule-2017 के Denotification के कारण तकनिकि समस्या भी दृष्टि गोचर है।

(20)

वर्णित परिप्रेक्ष्य में NFSA–2013 के अनुपालन में विषयांकित योजनान्तर्गत खाद्य सुरक्षा भत्ता भुगतान निमित्त मार्गनिर्देश तैयार करने हेतु मार्ग दर्शन की अपेक्षा प्रासंगिक पत्र के माध्यम से की गई थी, जो अबतक प्रतीक्षित है।

अतः पुनः अनुरोध है कि NFSA–2013 के अनुपालन में विषयांकित योजनान्तर्गत खाद्य सुरक्षा भत्ता भुगतान निमित्त मार्गनिर्देश तैयार करने हेतु मार्ग दर्शन प्रदान करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(अविनाश कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

ज्ञापांक–05/म०स०/खा०सु०भ०–290/2021– 205 राँची, दिनांकः 28/01/2022

प्रतिलिपिः– विशेष कार्य पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

19/1/22
सरकार के प्रधान सचिव।